List of RTE-12 (1)(C), 2009 in Pvt Schools

Name of District:- KODERMA

SN	Block	UDISE Code	Name of Schools
1	KODERMA	20050110304	SACRED HEART SCHOOL
2	KODERMA	20050110307	MODERN PUBLIC SCHOOL
3	KODERMA	20050110309	KAILASH RAY SARSWATI VIDYA MANDIR
4	KODERMA	20050116402	Meridian School
5	KODERMA	20050117807	PVSS DAV PUBLIC SCHOOL JHUMARI TELAIYA
6	JAINAGAR	20050310201	ADARSH +2 UACHCH VIDYALAYA MADHWATAND
7	CHANDWARA	20050503802	GRIZZLY VIDYALAYA
8	JAINAGAR	20050316805	NATIONAL PUBLIC SCHOOL KATIYA, PARSABAD
9	DOMCHANCH	20050604814	MANJULA SHARMA MEMORIAL ACADEMY
10	JAINAGAR	20050316809	APPRECIABLE PUBLIC SCHOOL
11	KODERMA	20050127210	GRIZZLY PUBLIC SCHOOL GUMO, KODERMA
12	KODERMA	20050123301	SHIVTARA SAESWATI VIDYAMANDIR JMT

Vikram 6/2/23
office Assist

6-2-23

07/02/23
DSE Cum UDPO
SSA, Koderma

श्री BEO13/प्र०अभि०शी०
विद्या० क० प्र० को प्रति दें।
- Notice Board पर चिपका
- नियमानुसार
- अन्य व्यक्तियों को ...
- Guard File में।
23.2.16

(1)

(6)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

रांची/दिनांक 16/2/16

182/2.16 संख्याः–8/वि.1–29/2011 ....237.... /निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा में पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रावधान को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत निदेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है–

1. अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार गैर–सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा पड़ोस के अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को है। पड़ोस से तात्पर्य है विद्यालय के एक कि.मी. दूरी सीमा के अधीन वास करने वाले बच्चे। यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं होते है तो विद्यालय के विस्तारित सीमा अर्थात तीन कि.मी. की दूरी सीमा में वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा। फिर भी यदि सीट खाली रह जाता है तो छः कि.मी. दूरी सीमा तक वास करने वाले बच्चों का नामांकन किया जायेगा।

2. अभिवंचित समूह से तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चे।

3. कमजोर वर्ग से तात्पर्य है ऐसे बच्चे, जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हों और जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु. 72,000/– से कम हो।

4. अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन में प्राथमिकता वैसे बच्चों को दी जायेगी, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रू. 72,000/– से कम हो।

5. विद्यालय के पास–पड़ोस की दूरी सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के निम्नलिखित दस्तावेज नामांकन हेतु मान्य होंगेः–

(i) आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र

(ii) ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

(iii) राशन कार्ड/ड्राइविंग लायसेन्स/बिजली बिल जिसमें पालक/ अभिभावक
निवास का पता अंकित हो।

6. अभिवंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं पारिवारिक आय के प्रमाण स्वरुप निम्नांकि दस्तावेज मान्य हो:-

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण के लिए बच्चों व पालक/अभिभावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज, जिसमें अनुसूचि जाति/अनुसूचित जनजाति होने का उल्लेख हो।

(ii) 40 प्रतिशत विकलांगता वाले बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड/असैनिक शल चिकित्सक, सदर अस्पताल/चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र द्वा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र।

(iii) संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र।

7. नर्सरी/एल.के.जी. में नामांकन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा क्रमशः 3 व 6 माह से अधिक 4 वर्ष 6 माह से कम तथा एवं कक्षा एक में नामांकन हेतु उम्र सीमा 5 व 6 माह से अधिक एवं 7 वर्ष से कम होगी।

8. गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेश पाने के लि अभिभावकों द्वारा हस्तलिखित या टाइप किया हुआ आवेदन-पत्र सीधे विद्यालय में निर्धारित ति तक जमा किया जायेगा। विद्यालय में आवेदन जमा करने में कठिनाई होने पर इसे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में अंतिम तिथि से पूर्व जमा किया जा सकेगा। आवेदन पत्र का प्रारू <u>अनुलग्नक-1</u> के रूप में संलग्न है।

9. शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट पर नामांकन हेतु प्रवेश कार्यक्रम निम्नवत् है:-

1.	नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत एवं आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तिथि-	23.02.2016
2.	विद्यालय में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि-	03.03.2016
3.	लाटरी द्वारा चयन के लिए निर्धारित तिथि-	08.03.2016
4.	चयनित बच्चों की सूची प्रकाशित करने की तिथि-	10.03.2016
5.	नामांकित बच्चों की सूची प्रकाशित करने की तिथि-	19.03.2016
6.	खाली सीट को भरने हेतु दूसरी सूची प्रकाशित करने की तिथि-	26.03.2016
7.	प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि-	31.03.2016

10. यदि किन्ही कारणों से प्रथम चरण के नामांकन के पश्चात् सीट खाली रह जाता है तो संबंधित जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अगले चरण के नामांकन प्रक्रिया का कैलेण्डर निर्धारित कर विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा एवं आमजनों की जानकारी हेतु इसका विस्तृत प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।

11. अधिनियम के अन्तर्गत विद्यालय में प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग वर्जित हैं, अतः प्राप्त आवेदनों में से रैण्डम पद्धति से ही प्रवेश किया जा सकेगा। यदि निर्धारित सीट से कम आवेदन प्राप्त हुए है तो सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश मिलेगा। निर्धारित सीट से अधिक आवेदन है तो लाटरी द्वारा नाम निकाल कर प्रवेश दिया जाएगा। लाटरी की पूर्व निर्धारित तिथि की सूचना पालकों को दी जाएगी। जिला शिक्षा अधीक्षक उक्त तिथि को प्रत्येक विद्यालय हेतु पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेंगे। पर्यवेक्षक की उपस्थिति में ही लाटरी द्वारा नाम निकाला जायेगा।

12. नामांकन हेतु चयनित बच्चों की सूची विद्यालय द्वारा सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ विद्यालय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा और सूची की प्रति जिला शिक्षा अधीक्षक को उपलब्धा कराई जायेगी।

13. विद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा अधीक्षक को वार्षिक ब्योरा समर्पित किया जायेगा और इसके आधार पर विद्यालय को राशि की प्रतिपूर्ति पर विचार किया जायेगा। विहित प्रपत्र <u>अनुलग्नक-2</u> के रूप में संलग्न है।

14. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीट पर अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के अनुश्रवण हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक के अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी एवं निजी विद्यालय के एक प्राचार्य सदस्य होंगे।

15. नामांकन प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों के सहायता हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किसी विद्यालय/कार्यालय में एक सहायता केन्द्र संचालित किया जायेगा।

16. गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में शेष 75 प्रतिशत सीटों में भी प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग नहीं होगी। इन बच्चों के लिए प्रवेश के लिए निजी विद्यालय अपनी पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा करेंगे और इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक को देंगे। इसी प्रक्रिया के तहत बच्चों को प्रवेश मिलेगा। जिन विद्यालयों की अपनी वेबसाइट है वे प्रवेश की नियमावली वेबसाइट पर भी

प्रदर्शित करेंगे। निजी विद्यालय द्वारा प्रवेश के लिये लाटरी निकालने की निर्धारित तिथि की जानकारी बच्चों के पालकों/अभिभावकों को भी दी जायेगी।

17. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

15.2.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-8/वि.1-29/2011......237...../ राँची, दिनांक.....16/2/16

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

15.2.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-8/वि.1-29/2011......237...../ राँची, दिनांक.....16/2/16

प्रतिलिपि : झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, झारखण्ड/ सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड परियोजना परिषद्, रांची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/ सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/ सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/ सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.2.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः-8/वि.1-29/2011......237...../ राँची, दिनांक.....16/2/16

प्रतिलिपि : महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.2.16

(आराधना पटनायक)
सरकार के सचिव।

अनुलग्नक-1

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीट पर अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु आवेदन-पत्र

पंजीकरण संख्या

[   ]

(विद्यालय द्वारा भरा जायेगा)

बच्चे का फोटो

क. अभिवंचित वर्ग : .... ख. कमजोर वर्ग :..........................

(जो लागू हो)

1. विद्यालय का नाम : ....
   (पूरा पता सहित)
2. निवास स्थान से विद्यालय की दूरी :
3. प्रवेश कक्षा : ....
4. बच्चे का नाम : ....
   क) जन्म तिथि * : दिन .... माह .... वर्ष ....
   ख) जन्म तिथि (शब्दों में) : ....
5. 31 मार्च, 20....... को आयु : ....
   (शब्दों में)
6. माता का नाम : ....
7. पिता का नाम : ....
8. अभिभावक का नाम : ....
   (यदि लागू हो तो)
9. अभिभावक का व्यवसाय : ....
   (यदि लागू हो तो)
   क) माता : ....
   ख) पिता : ....
10. वर्तमान आवासीय पता ** ....
11. माता-पिता/अभिभावक का फोन संख्या ....
    क) मोबाईल नम्बर : ....
    ख) लैंडलाइन नम्बर : ....
    यदि हाँ तो उसका पूरा पता ....
12. अभिभावक का आधार संख्या : ....
    (यदि लागू हो तो)
    क) माता : ....

ख) पिता : ....

13. माता/पिता दोनों की कुल आय : ....
(सभी स्रोतों द्वारा)

14. आय का प्रमाण-पत्र *** : ....

15. वंचित समूह का प्रमाण-पत्र **** : ....

16. निःशक्तता प्रमाण-पत्र**** : ....

17. अनाथ होने का प्रमाण-पत्र **** : ....

माता/पिता का घोषणा :

मैं .... पिता/माता .... (बच्चे का नाम) इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त जानकारी सत्य एवं सही है। यदि सत्यापन करने पर कोई जानकारी इसमें असत्य पाई जाती है तो मेरे बच्चे का प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

माता/पिता का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांकः ....

निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करें :

* जन्म प्रमाण-पत्र का प्रमाण :

(1.) जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत जन्म प्रमाण-पत्र।
(2.) अस्पताल/सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) रजिस्टर अभिलेख।
(3.) आंगनबाड़ी अभिलेख।
(4.) माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का घोषणा-पत्र।

** आवास प्रमाण-पत्र का प्रमाण :

(1.) बच्चे का नाम वाले पिता/माता के नाम पर जारी राशन कार्ड।
(2.) बच्चे का या उसके माता-पिता के निवास का प्रमाण-पत्र
(3.) माता-पिता में से किसी एक का मतदाता पहचान-पत्र
(4.) बिजली बिल/टेलिफोन बिल।
(5.) आधार कार्ड/जाब कार्ड।

*** आय प्रमाण-पत्र का प्रमाण :

(1.) अंचलाधिकारी/ मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र।
(2.) बीपीएल राशन कार्ड ।

**** अभिवंचित वर्ग का प्रमाण :

(1.) उपायुक्त/अनुमण्डलाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
(2.) सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण-पत्र यदि बच्चा निःशक्त हो।
(3.) अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी/ मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ।

अनुलग्नक-2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीट पर अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के संबंध में विद्यालय द्वार समर्पित किया जाने वाला वार्षिक व्योरा

विद्यालय का नाम एवं पताः-

कक्षा	कुल सीट की संख्या	25 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत उपलब्ध सीट की संख्या	प्रवेश कक्षा में नामांकन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	25 प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत नामांकित बच्चों की संख्या	नामांकन की अंतिम तिथि

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा के 25 प्रतिशत सीट पर अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन हेतु आवेदन-पत्र

बच्चों का फोटो

पंजीकरण संख्या -
(विद्यालय द्वारा भरा जाएगा)
(क) अभिवंचित वर्ग - (ख) कमजोर वर्ग -
(जो लागू हो)

1. विद्यालय का नाम - ....
(पूरा पता सहित) ....
2. निवास स्थान के विद्यालय की दूरी- ....
3. प्रवेश कक्षा - ....
4. बच्चे का नाम - ....
क) जन्म तिथि - दिन .... माह .... वर्ष ....
ख) जन्म तिथि (शब्दों में) - ....
5. 31 मार्च 20.... करे आयु (शब्दों में) - ....
6. माता का नाम - ....
7. पिता का नाम - ....
8. अभिभावक का नाम - ....
(यदि लागू हो तो) ....
9. अभिभावक का व्यवसाय - ....
(यदि लागू हो तो) ....
10. वर्तमान आवासीय पता - ....
11. माता-पिता/अभिभावक का फोन सं0- ....
क) मोबाईल नम्बर - ....
ख) लैंडलाईन नम्बर - ....
12. अभिभावक का आधार सं0 - ....
(यदि लागू हो तो)
क) माता - ....
ख) पिता - ....
13. माता/पिता दोनो की कुल आय - ....
(सभी स्त्रोतो द्वारा)
14. आय का प्रमाण-पत्र - ....
15. वंचित समूह का प्रमाण-पत्र - ....
16. निःशक्तता प्रमाण-पत्र - ....
17. अनाथ होने का प्रमाण-पत्र - ....

माता/पिता का घोषणा -

मैं .... माता/पिता ....
(बच्चे का नाम) द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उक्त जानकारी सत्य एवं सही है। यदि सत्यापन करने पर कोई जानकारी झूठी असत्य पाई जाती है तो मेरे बच्चे का प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

दिनांक ....

माता/पिता का नाम एवं हस्ताक्षर

....

③ (1)

निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करें -

* जन्म प्रमाण-पत्र का प्रमाण -

1. जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जन्म प्रमाण-पत्र।
2. अस्पताल/सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) रजिस्टर अभिलेख।
3. आंगनबाड़ी अभिलेख।
4. माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की आयु का घोषणा-पत्र।

** आवास प्रमाण-पत्र का प्रमाण -

1. बच्चे का नाम वाले पिता/माता के नाम पर जारी राशन कार्ड।
2. बच्चे का या उसके माता-पिता के निवास का प्रमाण-पत्र।
3. माता-पिता में से किसी एक का निवास का प्रमाण-पत्र।
4. बिजली बिल/टेलीफोन बिल।
5. आधार कार्ड/जॉब कार्ड।

*** आय प्रमाण-पत्र का प्रमाण -

1. अंचलाधिकारी/मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र
2. बीपीएल राशन कार्ड

**** अभिवंचित वर्ग का प्रमाण -

1. उपायुक्त/अनुमण्डलाधिकारी/अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
2. सरकारी अस्पताल का चिकित्सा प्रमाण-पत्र यदि निःशुक्त हो।
3. अनाथ बच्चे की स्थिति में अंचलाधिकारी/मुखिया/वार्ड कमिश्नर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।